रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07032020-218573
CG-MH-E-07032020-218573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941
No. 104]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

मुंबई, 4 मार्च, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020

अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात "मूल विनियमावली" कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i. यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी।

ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मूल विनियमावली में,

(i) विनियम 3 के उप-विनियम 1(ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"एशियन क्लियरिंग यूनियन(एसीयू) के सदस्य"

(ii) विनियम 3 के उप-विनियम 1(ए) के खंड (i) के उप-खंड (ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"किसी लेनदेन की दूसरी पार्टी जिस सदस्य देश की निवासी है, उस देश के बैंक के भारत में स्थित एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते में डेबिट कर के अथवा उस सदस्य देश में प्रधिकृत व्यापारी के प्रतिनिधि बैंक के पास रखे उसके एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते में जमा कर के पात्र माल तथा सेवाओं के निर्यात की प्राप्ति की जाएगी "

(iii) विनियम 5 के उप-विनियम 1(ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"एशियन क्लियरिंग यूनियन(एसीयू) के सदस्य"

(iv) विनियम 5 के उप-विनियम 1(ए) के खंड (i) के उप-खंड(ए) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"किसी लेनदेन की दूसरी पार्टी जिस सदस्य देश की निवासी है, उस देश के बैंक के भारत में स्थित एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते में जमा कर के अथवा उस सदस्य देश में प्रधिकृत व्यापारी के प्रतिनिधि बैंक के पास रखे उसके एसीयू डॉलर खाते और/अथवा एसीयू यूरो खाते और/अथवा एसीयू जापानी येन खाते से डेबिट कर के पात्र माल तथा सेवाओं के आयात का भुगतान किया जाएगा।"

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./491/19]

फुट-नोट: विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) को दिनांक 03.05.2016 के सा.का.नि. सं. 480(अ) के माध्यम से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा तद्पश्चात 13 नवंबर 2019 की सं.फेमा. 14 (आर)(1)/2019-आरबी) के माध्यम से संशोधित किया गया और 14 नवंबर 2019 को सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया है।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

Mumbai, the 4th March, 2020

Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Second Amendment) Regulations, 2020

Notification No. FEMA 14(R)/(2)/2020-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2016 [Notification No. FEMA 14(R)/2016-RB dated May 02, 2016] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. Short title and commencement:-

i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Second Amendment) Regulations, 2020.

ii. They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Principal Regulations,

(i) in sub-Regulation 1 (A) of Regulation 3, the following shall be substituted, namely:

"Members of Asian Clearing Union (ACU)"

(ii) in sub-Clause (a) of Clause (i) of sub-Regulation (1)(A) of Regulation 3, the following shall be substituted, namely:

"Receipt for export of eligible goods and services by debit to the ACU Dollar account and / or ACU Euro account and / or ACU Japnese Yen account in India of a bank of the member country in which the other party to the transaction is resident or by credit to the ACU Dollar account and / or ACU Euro Account and / or ACU Japnese Yen account of the authorized dealer maintained with the correspondent bank in that member country;"

(iii) in sub-regulation 1(A) of Regulation 5, the following shall be substituted, namely:

"Members of Asian Clearing Union (ACU)"

(iv) in sub-Clause (a) of Clause (i) of sub-Regulation (1)(A) of Regulation 5, the following shall be substituted, namely:

"Payment for import of eligible goods and services by credit to ACU Dollar account and / or ACU Euro account and / or ACU Japnese Yen account in India of a bank of the member country in which the other party to the transaction is resident or by debit to the ACU Dollar account and / or ACU Euro account and / or ACU Japnese Yen account of the authorized dealer maintained with the correspondent bank in that member country:"

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./491/19]

Foot Note: The Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2016 [Notification No. FEMA 14(R)/2016-RB dated May 02, 2016] were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 480(E) dated May 03, 2016 and subsequently amended *vide* No. FEMA 14 (R)/(1)/2019-RB dated November 13, 2019 published on November 14, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.07 15:44:58 +05'30'